www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(An Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-1* *Issue-3* *October 2024***

जनपद पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति के प्रति शैक्षिक अधिकारियों का प्रत्यक्षीकरण

दीपिका पाण्डेय

शोधार्थी शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

डॉ0 सपना शर्मा

असोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, वनस्थली, विद्यापीठ राजस्थान

सारांश– मनोविज्ञान के अनुसार जनजातीय एक सामाजिक समूह है, जिसमें कई लोग एक साथ निवास करते हैं। एक ऐसा समुदाय जिसकी एक समान बोली हो, एक समान सामाजिक संगठन और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समरूपता व धार्मिक स्वरूप में भी समानता परिलक्षित हो। भारत में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय समुदायों का विशिष्टीकरण संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जनजाति का अस्तित्व सामने आया। आदिवासी लोग पिछड़े वर्गों में से एक हैं और ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज का वंचित वर्ग।

प्रस्तुत आलेख में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पिथौरागढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास के प्रति अधिकारियों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किया गया जिसमें जनपद के सम्बन्धित शैक्षिक अधिकारी वर्ग (खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अधिकारी व विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य व प्रवक्ता) को यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा आंकड़े प्राप्त कर पाया गया कि– सम्बन्धित जनजातियों के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति में शैक्षिक योजनाओं व कार्यक्रमों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है जिससे कि लगभग सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं जो शिक्षा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में एक सफल प्रयास है।

मुख्य शब्द– अनुसूचित जनजाति, प्रत्यक्षीकरण, शैक्षिक विकास

प्रस्तावना– शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाने का एक साधन है, वह बाधाओं को दूर करने की महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी समाज के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा है। प्राथमिक कारकों में शिक्षा एक ऐसा कारक है जिसके रूकने से समाज का विकास अवरूद्ध हो सकता है। सतत् विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।

भारत वर्ष में लगभग 427 जनजातियाँ निवास करती हैं। ये जनजातियाँ अपनी विशेष संस्कृति, भाषा और इतिहास के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भारतीय संविधान की धारा 36 (25) के अनुसार संवैधानिक आधार पर जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातियों या जनजाति समुदाय या उनकी किसी उपजाति या उप जनजाति समुदाय या उनकी किसी उपजाति या उप जनजातीय समुदाय से है, जो संविधान की धारा 342 में वर्णित है। अनुसूचित जनजातियों को कभी–कभी सामान्य तथा अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे– पहाड़ी जातियां, वन्य जनजातियाँ या आदिवासी जातियाँ (मीना 2019) आदि। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में भी मुख्य रूप से पाँच जनजातियाँ थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया एवं राजी जनजाति निवास करती हैं। जो कहीं न कहीं आज भी शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं।

प्रस्तुत शोध आलेख में जनपद पिथौरागढ़ में निवासरत् भोटिया व राजी जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति के प्रति शैक्षिक अधिकारियों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किया गया है।

उत्तराखण्ड के दो मण्डलों प्रथम गढ़वाल मण्डल एवं द्वितीय कुमाऊँ मण्डल में भोटिया जनजाति में तोल्छा, मारछा, शौका एवं जौहार मुख्य हैं। जिसमें से तोल्छा एवं मारछा गढ़वाल मण्डल तथा शौका एवं जौहार कुमाऊँ मण्डल में निवास करती हैं, और पिथौरागढ़ कुमाऊँ मण्डल का एक प्रमुख जनपद है। जिसमें कि भोटिया व राजी जनजाति निवास करती हें। जो कि पिथौरागढ़ के पहाड़ी इलाकों व सीमावर्ती क्षेत्रों में सम्बन्ध रखती हैं।

भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ जनपद के मुख्य रूप से तिब्बत और नेपाल से सटे क्षेत्रों, जैसे– व्यास घाटी, दारमा घाटी और चौदस घाटी में निवास करती है। वे अपनी अर्द्ध घुमंतू जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं और भोट प्रदेश के नाम से पुकारे जाते हैं। जनपद पिथौरागढ़ के अतिरिक्त ये जनजातियाँ उत्तराखण्ड के चमोली, उत्तरकाशी व नैनीताल जिलों में भी पाई जाती हैं। पिथौरागढ़ में ही दूसरी जनजाति राजी है जो कि जनपद के दूरस्थ वन क्षेत्रों में पाई जाती है।

इस शोध आलेख में यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पिथौरागढ़ में सत्र 2005–2020 की समयावधि में अनुसूचित जनजाति में विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के प्रति शैक्षिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की है तथा जो भी शैक्षिक कार्यक्रम व योजनाएँ इन जनजातियों के शैक्षिक विकास में सहायक हैं, इससे जनपद में निवास करने वाली जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हैं या नहीं इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। जनपद में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाएँ यथा– आश्रम पद्धति विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, छात्रवृत्ति योजनाएँ, कस्तूरबा गांधी विद्यालय (बालिकाओं हेतु), वनबंधु कल्याण योजनाएँ इत्यादि सुचारू रूप से क्रियान्वित हैं। जिनसे कि सभी विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद भी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इन योजनाओं व कार्यक्रमों के फलस्वरूप भी शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं व चुनौतियों का सामना करना पडता है, तथा ये योजनाएँ किस प्रकार से इन जनजातियों के शैक्षिक विकास में सहायक हो रही हैं इस शोध आलेख में यही जानने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का महत्व–

प्रस्तुत शोध आलेख में उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में स्थित जनपद पिथौरागढ़ को अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति को जानने हेतु जनपद पिथौरागढ़ में अधिकारियों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक पाया गया। शैक्षिक विकास की प्रक्रिया में विद्यार्थी नामांकन, विद्यालय सुलभता, शिक्षक सुलभता, शैक्षिक योजनाएँ व कार्यक्रमों का महत्व और इनकी सार्थकता को प्रदर्शित करता है। अतः अन्य ऐसे वर्ग जो कि पिछड़े हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं या जिन वर्गों तक ये शैक्षिक कार्यक्रम व योजनाएँ नहीं पहुँच रही हैं, उन्हें भी शैक्षिक विकास प्रदान करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस अध्ययन की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। जिससे कि अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

समस्या कथन– जनपद पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति के प्रति शैक्षिक अधिकारियों का प्रत्यक्षीकरण

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा–

अंकिता (2023) ने अपने अध्ययन बिहार के तिरूहत मण्डल के जनजाति क्षेत्रों में शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति के अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है सभी प्रकार की शैक्षिक योजनाओं व कार्यक्रमों से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। राजपूत रेणु (2008) ने अपने शोध अध्ययन ''राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा ब्रिजकोर्स से नामांकन एवं ठहराव या प्रभाव'' का अध्ययन किया और पाया कि योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के कारण नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है। योजनाओं के प्रयोग से क्षेत्र में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का सकारात्मक परिणाम पाया गया। सक्सेना कृष्णा (2012) ने अपने शोध अध्ययन ''राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति (1986–2008) का अध्ययन में पाया कि माध्यमिक स्तर पर निजी एवं सरकारी प्रयासों ने शैक्षिक विकास को आवश्यक रूप से प्रभावित किया है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में निरंतर बढोत्तरी हुई है।

शोध उद्देश्य– पिथौरागढ़ जनपद में शैक्षिक विकास के संदर्भ में सम्बन्धित शैक्षिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना– पिथौरागढ़ जनपद में शैक्षिक विकास के संदर्भ में सम्बन्धित शैक्षिक अधिकारियों के प्रत्यक्षीकरण में भिन्नता पायी जा सकती है।

तकनीकी शब्दों की परिभाषा– प्रस्तुत शोध आलेख में तकनीकी शब्दों की परिभाषा अंग्रांकित हैं–

• **जनपद पिथौरागढ़**– जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य का एक महत्वपूर्ण और सामरिक रूप से संवेदनशील जिला है, जो पूर्व में नेपाल और उत्तर में चीन (तिब्बत) से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊँचे पहाड़ों, ग्लेशियरों (जैसे मिलम) पवित्र नदियों काली, धौलीगंगा और कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग के लिए जाना जाता है। इसका गठन 1960 में हुआ और मुख्यालय पिथौरागढ़ शहर है जो समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

• **शैक्षिक विकास**– प्रस्तुत शोध आलेख में शैक्षिक विकास से तात्पर्य विद्यार्थी नामांकन, शिक्षकों की सुलभता, विद्यालय की सुलभता, शैक्षिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं की बढ़ोत्तरी एवं सुधार तथा इस संदर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से है।

• **प्रवृत्ति**– प्रवृत्ति से तात्पर्य किसी एक निश्चित दिशा में हो रहे बदलाव से है, यह बदलाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष में हो सकता है। प्रस्तुत शोध आलेख में प्रवृत्ति का अर्थ एक निश्चित समयावधि में शैक्षिक क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव से है।

• **सम्बन्धित अधिकारी**– प्रस्तुत शोध आलेख में सम्बन्धित अधिकारियों से तात्पर्य जनपद के जिला एवं खण्ड स्तर के शिक्षा सम्बन्धित अधिकारियों एवं विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य से है।

• **प्रत्यक्षीकरण**– प्रस्तुत शोध आलेख में प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य पिथौरागढ़ जनपद में अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास हेतु चलाए जा रहे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, योजनाओं, विद्यालयी सुलभता, शिक्षक सुलभता एवं विद्यार्थी नामांकन के प्रति सम्बन्धित शैक्षिक अधिकारियों व विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राध्यापकों के प्रत्यक्षीकरण से है।

अध्ययन के चर– प्रस्तुत शोध आलेख में जनपद पिथौरागढ़ में 2005 से 2020 तक के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित प्रमुख चर को अग्र प्रस्तुत किया गया है–

1. अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति
2. शैक्षिक अधिकारियों का प्रत्यक्षीकरण

शोध विधि– प्रस्तुत आलेख में आंकड़ों के संग्रहण हेतु वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण– प्रस्तुत शोध आलेख में सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों के प्रत्यक्षीकरण जानने हेतु प्रत्यक्षीकरण मापनी का सूची का निर्माण किया गया। प्रयुक्त प्रत्यक्षीकरण मापनी में कुल 15 कथन सम्मिलित हैं।

जनसंख्या– प्रस्तुत शोध आलेख में उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में स्थित जनपद पिथौरागढ़ के शैक्षिक विभागों में कार्यरत सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों व जनपद के विद्यालयों में सेवारत् प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को जनसंख्या के रूप में लिया गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्शन– प्रस्तुत शोध आलेख में शोधकर्त्री द्वारा 20 प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापकों में से 10 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को तथा 5 शैक्षिक अधिकारियों को यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है।

प्रदत्तों की प्रकृति– प्रस्तुत आलेख में प्रदत्तों की प्रवृत्ति विवरणात्मक है।

प्रदत्तों का विश्लेशण– प्रस्तुत आलेख में प्रतिशत विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

तालिका– शैक्षिक विकास के संदर्भ में कथनवार संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण (प्रतिशत में)

कथन	सकारात्मक	नकारात्मक
कथन 1	83 %	17%
कथन 2	41 %	59%
कथन 3	90 %	10%
कथन 4	71 %	29%
कथन 5	1 %	99%
कथन 6	93 %	07%
कथन 7	89 %	11%
कथन 8	91 %	09%
कथन 9	87 %	13%
कथन 10	97 %	03%
कथन 11	95 %	05%
कथन 12	98 %	02%
कथन 13	79 %	21%
कथन 14	88 %	12%
कथन 15	100%	00 %

दण्ड आरेख– *शैक्षिक विकास के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया*

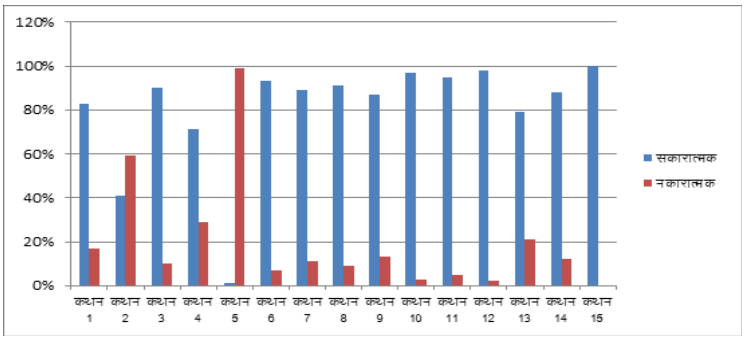

कथन 1– जनपद पिथौरागढ़ में विगत वर्षों के अन्तराल में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन दर में बढ़ोत्तरी हुई?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख से से ज्ञात होता है कि उपरोक्त कथन पर 83% अधिकारियों ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन दर में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तथा 17% अधिकारियों ने इस कथन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की है।

ज्ञात की गई प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों (83%) का मानना है कि इस समयावधि 2005–2020 के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ में नामांकन दर में बढ़ोत्तरी हुई है जिससे शैक्षिक विकास की गति सकारात्मक रही है।

कथन 2– क्या कुमाऊँ मण्डल के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हेतु आवश्यकतानुसार एकलव्य विद्यालय उपलब्ध हैं?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख के अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि इस कथन के प्रति 1% अधिकारियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और 99% लोगों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

प्राप्त प्रदत्तों व प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँशतः अधिकारियों (1%) का मानना है कि कुमाऊँ मण्डल के प्रत्येक जिले में एकलव्य विद्यालय उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हेतु आवश्यकतानुसार प्रत्येक जिले में एकलव्य विद्यालय उपलब्ध होने चाहिए।

कथन 3– विगत वर्ष 2005–2020 में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि हुई हैं?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख से प्राप्त प्रदत्तों के अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि इस कथन के प्रति 90% अधिकारियों ने अपनी सहमति व्यक्त की है एवं 10% ने इस कथन के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की है।

ज्ञात प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों (93%) ने प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात अपनी सहमति व्यक्त की है।

कथन 4– क्या शिक्षक–शिक्षार्थी अनुपात मापदण्ड के अनुसार हैं?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख के अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 71% अधिकारियों ने शिक्षक–छात्र अनुपात के अनुसार होने के पक्ष में अपनी सहमति प्रकट की है। 29% अधिकारियों ने इस कथन के प्रति अपनी असहमति प्रकट की है।

उपरोक्त कथन व प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों (71%) ने शिक्षक–शिक्षार्थी अनुपात मानदण्ड में अपनी सहमति प्रकट की है।

कथन 5– क्या जनपद पिथौरागढ़ के सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षक उपलब्ध हैं?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस कथन के प्रति 41% अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की है, तथा 59% अधिकारियों ने इस कथन के प्रति सहमति व्यक्त नहीं की है।

प्राप्त आंकड़ों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों (59%) का मानना है कि जनपद पिथौरागढ़ के सभी जिलों राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

कथन 6– क्या एकलव्य विद्यालयों के खुलने से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में तेजी आई है?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस कथन के प्रति 93% अधिकारियों ने सहमति प्रकट की है, और 07% अधिकारियों ने इस कथन के प्रति असहमति प्रकट की है।

प्राप्त आंकड़ों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों (93%) प्रतिशत का मानना है कि एकलव्य विद्यालयों के खुलने से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में तेजी आई है।

कथन 7– क्या सामान्य जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुरूप ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख से यह ज्ञात होता है कि इस कथन पर 89% अधिकारियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और 11% अधिकारियों ने इस कथन के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

ज्ञात की गई प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों 89% का यह मानना है कि सामान्य जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुरूप ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

कथन 8– क्या कुमाऊँ मण्डल के एकलव्य विद्यालयों में पर्याप्त रूप से शिक्षक उपलब्ध है?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि इस कथन पर (91%) अधि ाकारियों ने सहमति प्रकट की है और 09% अधिकारियों ने इस कथन के प्रति असहमति प्रकट की है।

प्राप्त प्रदत्तों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों (91%) का मानना है कि कुमाऊँ मण्डल के एकलव्य विद्यालयों में पर्याप्त रूप से शिक्षक उपलब्ध हैं।

कथन 9– क्या जनपद पिथौरागढ़ में विगत वर्षों के अंतराल में अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों में विद्यालय स्तरवार नामांकन में वृद्धि हुई है?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख के अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 87% अधिकारियों ने इस कथन के प्रति अपनी सहमति प्रकट की है एवं 13% अधिकारियों के असहमति व्यक्त की है।

ज्ञात की गई प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैक्षणिक सत्र 2005–2020 के मध्य जनपद पिथौरागढ़ में वर्षों के अंतराल में अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों में विद्यालय स्तर वार नामांकन दर में वृद्धि हुई है।

कथन 10– क्या राजकीय व एकलव्य विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु नामांकन पर समान रूप से रहती हैं?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख के अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 97% अधिकारियों ने इस कथन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तथा 07% अधिकारियों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्राप्त आकड़ों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि शैक्षणिक वर्ष 2005–2020 में राजकीय व एकलव्य विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु नामांकन दर समान रूप से रहती है।

कथन 11– क्या जिले के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर राजकीय व एकलव्य विद्यालयों में

शैक्षिक–भ्रमण किया जाता है?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख के अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि इस कथन के प्रति 95% अधिकारियों ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा 05 प्रतिशत अधिकारियों ने असहमति प्रकट की है।

ज्ञात प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों (95%) ने राजकीय व एकलव्य विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है।

कथन 12– क्या पिथौरागढ़ जनपद में विगत दशकों 2005–2020 के अंतर्गत लिंग के आधार पर बदलाव हुए हैं?

उपरोक्त तालिका एवं दण्ड आरेख के अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि इस कथन के प्रति 98% अधिकारियों ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा 02% अधिकारियों ने असहमति प्रकट की है। ज्ञात की गई प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाँश अधिकारियों (98%) ने लिंग के आधार पर बदलाव हुए हैं में अपनी सहमति प्रकट की है।

कथन 13– वर्ष 2005–2020 की समयावधि में जनपद पिथौरागढ़ के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन में किस प्रकार का बदलाव हुआ है?

तालिका एवं दण्ड आरेख में अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 79: अधिकारियों ने कहा है कि नामांकन में बदलाव सकारात्मक रूप से हुआ है। जिसका प्रमुख कारण प्राप्त शैक्षिक योजनाओं, सामाजिक जागरूकता व अभिभावकों का बदलता हुआ दृष्टिकोण है। अन्य 21% अधिकारियों का मत है कि SMC (School Mangment Committee) अर्थात विद्यालय प्रबंध समिति को training (प्रशिक्षण) इस बदलाव का मुख्य कारण है।

कथन 14– अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए विभाग द्वारा किस प्रकार के कमद उठाए जा रहे हैं?

तालिका एवं दण्ड आरेख में अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 88% अधिाकिरयों ने आतंरिक शिक्षक प्रशिक्षण को अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त माना हैं जिसमें कि NIOS, FLN, DIET BRIZE COURSE इत्यादि सम्मिलित हैं, तथा 12% अधिकारियों ने यह माना है कि नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण के बाद ही शिक्षकों को कक्षा–शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए तथा प्रशिक्षण के माध्यम से ही योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए, क्योंकि सेवारत् प्रशिक्षण शिक्षकों के कार्यों व प्रदर्शन का विश्लेषण करता है।

कथन 15– कुमाऊँ मण्डल के जिलों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास व केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रभाव कितना अधिक सार्थक रहा है?

तालिका एवं दण्ड आरेख में अधिकारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 100% अधिकारियों का मत है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि व शिक्षा के प्रति जागरूकता (विशेषतः राजी जनजाति) व उनके सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक है। सभी विद्यार्थी शैक्षिक योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

निष्कर्ष– शिक्षा सम्बन्धी अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के पश्चात् जो तथ्य प्रकट होते हैं उनमें से यह ज्ञात होता है कि शैक्षणिक सत्र 2005–2020 के मध्य जनपद पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की गति सकारात्मक रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन पर वृद्धि का कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को माना गया है। अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक छात्र अनुपात मापदण्ड के अनुसार होने के कारण शिक्षा के विकास की बात कही गई है। आंतरिक प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

अतः प्राप्त तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सहायक है।

सीमांकन–

1. प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के केवल जनपद पिथौरागढ़ को ही सम्मिलित किया गया

है।

2. प्रस्तुत शोध अध्ययन के सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनओं व कार्यक्रमों को ही सम्मिलित किया गया है।
3. अध्ययन में जनपद के शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को ही सम्मिलित किया गया है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आदिम जाति कल्याण निदेशालय, आदिम के लिए संरक्षण–सह–विकास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जनजातीय समूह (अवधि 2009–12) देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. कुमारी, अंकिता (2023) ''बिहार राज्य के तिरूहत मण्डल में शैक्षिक विकास (2005–2015) का अध्ययन'' शोध प्रबंध वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान।
3. कोठारी, सी0आर0 (2004) रिसर्च मेथेडलॉजीः रिसर्च डिजाइन, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
4. गौतम, एन0 (2013) भारत में अनुसूचित जनजाति की शिक्षाः योजनाएँ और कार्यक्रम, जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेक्टिस, 4(4)।
5. पंत आर0बी0 (2016) ''उत्तराखण्ड की जनजातियों'' के विशेष संदर्भ के साथ जनजातिय जनसांख्यिकी पृ0सं038–97
6. पाण्डे बद्रीदत्त (2011) ''कुमाऊ का इतिहास'' श्याम प्रकाशन, अल्मोड़ा बुक डिपो, माल रोड अल्मोड़ा, 263601।
7. फकरियाल राकेश सिंह (2022) ''उत्तराखण्ड के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्र के भोटिया जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में'' इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशन, वाल्यूम 04, जुलाई–सितम्बर 2022 पृ0सं0 231–236, आईएसएसएन 2581–9925
8. शर्मा आशा एवं सुशील कुमार अवस्थी (2016) भारत में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएँ, आधुनिक शिक्षा वर्ष– 37, अंक– 2 एनसीआरटी।
9. शर्मा विनय कुमार (2022) ''आदिवासी शिक्षा अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली– 110002 आइएसबीएन 978–81–950919–2–8।
10. शालिनी एवं अमित (2022) ''उत्तराखण्ड की जनजातियों का अध्ययन'' इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड एजूकेशन रिसर्च, मार्च–अप्रैल, वाल्यूम–11, इश्यू–2 आईएसएसएन– 2278–9677

Cite this Article

'डॉ0 सपना शर्मा; दीपिका पाण्डेय',' "जनपद पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति के प्रति शैक्षिक अधिकारियों का प्रत्यक्षीकरण", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:03, October 2024.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2024v1i10012

Published Date- 09 October 2024